

कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक, उलान बतार रोड, दिल्ली छावनी-10
Office of the CGDA, Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt - 110010

सं. AN/III/3012/Circular/Vol-VII

दिनांक 18.5.2015

(Through CGDA Website)

सेवा में,

समस्त र.ले.प्र.नि./प्र.ले.नि.(फै.)प्र.ए.वि.स.
र.ले.नि./वि.एवं ले.नि.(फै.)/ए.वि.स./क्षे.प्र.के.

विषय:- आतंकवाद-विरोधी दिवस मनाना ।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय स. 19/13/2015 पब्लिक दिनांक 11 मई, 2015 की उपर्युक्त विषयक की प्रति सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है । आपसे अनुरोध है कि आप अपने संगठन/कार्यालयों में 21 मई, 2015 को "शपथ-ग्रहण" समारोह का आयोजन करें ।

"शपथ" की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में) संलग्न है ।


(आर के गांधी)

कृते र.ले.महानियंत्रक

प्रतिलिपि :-

प्रशासन-IV (स्थानीय)

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

ई. डी. पी. केन्द्र (स्थानीय)

रक्षा लेखा महानियंत्रक कि वेबसाइट पर अपलोड हेतु

६ -
(आर के गांधी)
व. लेखा अधिकारी (प्रशा)

No. 19/13/2015-Public
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

North Block, New Delhi,
Dated the 11th May, 2015

To

Chief Secretaries of all State Governments,
Administrators of all Union Territories, and
Secretaries of all Ministries/Departments
of the Govt. of India.

Subject: Observance of Anti-Terrorism Day.

Sir,

I am directed to say that every year **May 21** is observed as Anti-Terrorism Day. The objective behind observance of this day is to wean away the youth from terrorism and the cult of violence by highlighting the sufferings of common people and showing as to how it is prejudicial to the national interest.

2. The ways in which this objective can be achieved have been enumerated below :-

- (i) by organizing debates/discussions in schools, colleges and universities;
- (ii) holding of symposiums/seminars, lectures, etc. on the dangers of terrorism & violence;
- (iii) a determined and sustained drive to bring about a mass awakening against terrorism and violence by making appropriate projection through the media i.e. newspapers, journals, magazines, All India Radio and Doordarshan etc. including postering and pamphleteering;
- (iv) for the mass education programme, to highlight the ill-effects of violence and terrorism, imaginative use of the electronic/print media by involving prominent sports, film and other prominent personalities and distribution of T-Shirts with attractive anti-violence/terrorist slogans;
- (v) involving voluntary organizations, social and cultural bodies to have their own programmes through lectures, talks, discussions, musical and recitation programmes and cultural functions;
- (vi) anti-terrorism/violence pledge to be taken in all Government offices, public sector undertakings and other public institutions.


Contd/-p.2

3. The above are some illustrative items of the proposed programme; you may kindly add or modify to suit special requirement, if any, prevailing in your State. I request you to kindly look into the matter personally and provide guidance to all concerned in your State including necessary publicity, to organise various programmes all over the State in observing 21st May as 'Anti-Terrorism Day' in a most befitting manner.

4. An important feature of the observance of the Anti-Terrorism Day is the "pledge-taking" ceremony in all Government offices, public sector undertakings and other public institutions. A copy of the "pledge" (both in English & Hindi) is enclosed.

5. You are, accordingly, requested to organize appropriate programmes, including the pledge-taking ceremony, to observe the Anti-Terrorism Day in a befitting manner.

Yours faithfully,



(Satpal Chouhan)

Joint Secretary to the Government of India
Tele. No.011- 23093178

Encl. : As above

No. 19/13/2015-Public

New Delhi, the 11th May, 2015.

Copy, with enclosures, forwarded for information and necessary action to:-

1. President's Secretariat
2. Vice-President's Secretariat
3. Prime Minister's Office
4. Registrar, Supreme Court of India
5. Registrar, Delhi High Court
6. Cabinet Secretariat
7. Rajya Sabha Secretariat
8. Lok Sabha Secretariat
9. NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi.
10. Election Commission of India
11. Union Public Service Commission
12. Office of Comptroller & Auditor General of India
13. Central Vigilance Commission
14. University Grants Commission
15. National Commission for SCs
16. National Commission for STs
17. National Commission for Backward Classes
18. National Commission for Minorities
19. Telecom Commission
20. National Commission for Women
21. National Human Rights Commission
22. Manager, Reserve Bank of India
23. All attached & subordinate offices of the Ministry of Home Affairs
24. Ad.III Section/MHA for making necessary arrangement in connection with holding of ceremony.
25. Principal Information Officer, Shastri Bhawan, New Delhi-110001 for appropriate media coverage of the event
26. ADG (M&C), MHA



(Satpal Chouhan)

Joint Secretary to the Government of India
Tele. No.011- 23093178

शपथ

हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परम्परा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शान्ति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने को भी शपथ लेते हैं।

PLEDGE

We, the people of India, having abiding faith in our country's tradition of non-violence and tolerance, hereby solemnly affirm to oppose, with our strength, all forms of terrorism and violence. We pledge to uphold and promote peace, social harmony, and understanding among all fellow human beings and fight the forces of disruption, threatening human lives and values.

सं. 19/13/2015 पब्लिक

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 11.5.2015

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक तथा
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : आतंकवाद-विरोधी दिवस मनाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हर वर्ष 21 मई को 'आतंकवाद-विरोधी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को आतंकवाद-विरोधी दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य आम आदमी के कष्टों को उजागर करके और यह बताकर कि आतंकवाद तथा हिंसा का मार्ग राष्ट्रीय हित के प्रति किस प्रकार हानिकारक है, युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के मार्ग से दूर रखना है।

2. इस उद्देश्य को निम्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है,

- (i) विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वाद-विवाद/चर्चायें आयोजित करके;
- (ii) आतंकवाद और हिंसा के खतरे के संबंध में परिचर्चा/सेमिनार, व्याख्यान आदि आयोजित करके;
- (iii) पोस्टर और पैम्फलेट लगाने सहित मीडिया अर्थात् समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, आकाशवाणी और दूरदर्शन आदि के माध्यम से उचित अभिव्यक्ति प्रस्तुत करके आतंकवाद और हिंसा के विरुद्ध जन-जागृति लाने के दृढ़ और निरंतर अभियान चला कर;
- (iv) हिंसा और आतंकवाद के कुप्रभावों को प्रकाश में लाने हेतु जन-शिक्षा कार्यक्रम के वास्तुखेलों, फिल्मों की प्रमुख हस्तियों और अन्य प्रसिद्ध हस्तियों को शामिल करके इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया का कल्पनात्मक प्रयोग करना और ऐसी टी-शर्टों का संवितरण करना जिनमें हिंसा/आतंकवाद के विरोध में आकर्षक नारे लिखे हों;
- (v) स्वयं-सेवी संगठनों, सामाजिक और सांस्कृतिक निकायों को व्याख्यानों, चर्चाओं, परिचर्चाओं, संगीत और कविता पाठ कार्यक्रमों एवं सांस्कृतिक समारोहों के रूप में अपने स्वयं के कार्यक्रमों के लिए तैयार एवं शामिल करना;
- (vi) सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में आतंकवाद/हिंसा-विरोधी शपथ ली जाए।

: 2 :

3. उपरोक्त मर्दे प्रस्तावित कार्यक्रमों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। आप अपने राज्य की स्थिति के अनुसार एवं अपनी विशेष जरूरतों, यदि कोई हों, के अनुरूप इन कार्यक्रमों में कुछ जोड़ सकते हैं या इनमें संशोधन कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले में व्यक्तिगत रूप से रुचि लें और अपने पूरे राज्य में समुचित ढंग से 21 मई को आतंकवाद-विरोधी दिवस के रूप में मनाने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के वास्ते आवश्यक प्रचार करने सहित अपने राज्य के सभी संबंधितों का मार्गदर्शन करें।

4. आतंकवाद-विरोधी दिवस को मनाने की एक खास विशेषता सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थानों में "शपथ-ग्रहण" समारोह का आयोजन करना है। "शपथ" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में) संलग्न है।

5. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि आतंकवाद-विरोधी दिवस को उचित ढंग से मनाने के लिए शपथ-ग्रहण समारोह सहित उपयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन करें।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,


11/5/15
(सतपाल चौहान)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011- 2309 3178

प्रतिलिपि संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, अंग्रेषित :

1. राष्ट्रपति सचिवालय
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय
3. प्रधानमंत्री कार्यालय
4. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय
5. रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय
6. मंत्रिमंडल सचिवालय
7. राज्य सभा सचिवालय
8. लोक सभा सचिवालय
9. नीति आयोग
10. भारत का निर्वाचन आयोग
11. संघ लोक सेवा आयोग
12. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग
14. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
15. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
16. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
17. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
18. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
19. दूर संचार आयोग
20. राष्ट्रीय महिला आयोग
21. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
22. प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक
23. गृह मंत्रालय के सभी सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय
24. समारोह आयोजित करने के लिए आवश्यक प्रबंध करने हेतु प्रशासन-III अनुभाग, गृह मंत्रालय
25. कार्यक्रम के यथोचित मीडिया कवरेज के लिए प्रधान सूचना अधिकारी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
26. ए. डी. जी. (एम. एंड सी), गृह मंत्रालय

S. Chaudhary
11/5/15
(सतपाल चौहान)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011- 2309 3178

शपथ

हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परम्परा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शान्ति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं।

PLEDGE

We, the people of India, having abiding faith in our country's tradition of non-violence and tolerance, hereby solemnly affirm to oppose with our strength, all forms of terrorism and violence. We pledge to uphold and promote peace, social harmony, and understanding among all fellow human beings and fight the forces of disruption, threatening human lives and values.